कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांकः 6666 / 14-1 सीतापुर, दिनांकः 22.06. , 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः सीतापुर–हरदोई (राजमार्ग संख्या–330डी) के कि0मी0 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे0 संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित .8.28 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वाकिनी प्रयोग एवं बाधक कुल 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2110 / 11–सीFP/UP/Road/146875/2021 दिनांक 22.12.2022

महोदय,

विषयांकित क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय निदेशक / नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई के कार्यालय पत्रांक 4269 / 14–1 (एन0एच0–330डी0) दिनांक 02.03.2023 द्वारा आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 4269 /14–1(एन0एच0–330डी) हरदोई दिनांक– 2-3–2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सीतापुर।

विषयः– **सीतापुर–हरदोई (राजमार्ग संख्या–330 डी) किमी0 0.00 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब्ड सोल्डर सहित चौड़ीकरण मे प्रभावित सीतापुर वन प्रभाग मे प्रभावित 28.707 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य एवं बाधक 1549 वृक्षो के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग मे प्रभावित 8.28 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षो के पातन अर्थात कुल 36.987 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः– आपका पत्रॉक–3629/14–1 दिनॉक–05–01–2023

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–2110/11–सी–FP/UP/Road/146875/2021 दिनॉक–22–12–2022 द्वारा लायी गयी बिन्दुवार कमियो के निराकरण हेतु सूचना/अभिलेख प्रस्तावक विभाग, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0विभाग, सीतापुर ने अपने कार्यालय पत्रॉक–279/रा0मा0सं0–330डी/2023 दिनॉक–27–02–2023 द्वारा आप सहित इस कार्यालय को सम्बोधित पत्र द्वारा बिन्दुवार सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हरदोई वन प्रभाग से सम्बन्धित बिन्दुओ पर सूचना/अभिलेख निम्नानुसार प्रेषित हैः–

बिन्दु सं0	आपत्ति	आख्या
1	प्रस्ताव मे संलग्न किये गये लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी/प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन भाग–2 के कमॉक–13(ii) मे CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नही किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2 के कमॉक–13(ii) मे CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव मे CA स्थल का Geo Reference Digital Map संलग्न है किन्तु Geo Reference Digital Map कोआर्डिनेटस के बिन्दु नही दर्शाये गये है। अतः Geo Reference Digital Map पर कोआर्डिनेटस के बिन्दु दर्शाते हुए प्रस्ताव मे संलग्न करे तथा सत्यापित Geo Reference Digital Map आनलाइन भाग–2 मे यथास्थान पर अपलोड करे तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करे।	प्रस्ताव मे CA स्थल का Geo Reference Digital Map पर कोआर्डिनेटस के बिन्दु दर्शाते हुए प्रस्ताव मे संलग्न करते हुए आनलाइन भाग–2 मे सत्यापित Geo Reference Digital Map को अपलोड कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नही है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्वता प्रमाण पत्र को प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन भाग–2 के कमॉक–13(iv) मे अपलोड किया गया SoI Toposheet प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नही है। अतः सत्यापित SoI Toposheet आनलाइन भाग–2 मे यथा स्थान पर अपलोड करे तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करे।	ऑनलाइन भाग–2 के कमॉक–13(iv) मे अपलोड किया गया SoI Toposheet को सत्यापित करते हुए अपलोड कर दिया गया है तथा Additional Information Detail मे भी अंकित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव मे सम्बन्धित विभागो का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्वता संलग्न है,	बिन्दु संख्या–6 के आलोक मे याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित विभागो से

	किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है। अतः सम्बन्धित विभागो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करे।	अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकियाधीन है, जिसमे समय लग सकता है। अतः वचनबद्वता को स्वीकार करे जिससे परियोजना शुरु करने मे बिलम्ब न हो।
7	ऑनलाइन भाग–2 मे हरियाली घनत्व 0.1 तथा हार्ड कापी भाग–2 मे हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व भाग–2 तथा हार्ड कापी भाग–2 मे अंकित कर आनलाइन अपलोड करे।	ऑनलाइन भाग–2 मे हरियाली घनत्व भाग–2 तथा हार्ड कापी भाग–2 मे 0.3 अंकित कर दिया गया है।
8	परियोजना मे 10 किमी0 की परिधि मे कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	परियोजना मे 10 किमी0 की परिधि मे कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमॉक–5 एवं 6 मे त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है अतः सही डाटा फीड करे।	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमॉक–5 एवं 6 मे डाटा सही कर दिया गया है।
10	आनलाइन भाग–2 के कमांक–16 मे प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर पत्र अपलोड किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट करे प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथा स्थान पर अपलोड करे।	संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्ताव मे संलग्न है जिसमे CA स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी संलग्न है। संस्तुति पत्र यथा स्थान पर अपलोड कर दिया गया है।
11	पेनड्राइब मे अपलोड की गयी पी0डी0एफ0 फाइल त्रुटिपूर्ण है तथा प्रस्तावित एवं CA स्थल की kml फाइल भी अपलोड नही है। अतः उपरोक्त इंगित कमियो का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित pdf File जिसमे प्रस्तावित एवं CA स्थल की kml फाइल हो, पेनड्राइब मे अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करे।	संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्ताव मे संलग्न है जिसमे CA स्थल की संशाधित के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रस्ताव मे अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नक–मूल प्रस्ताव 04 प्रति।

भवदीय,

(शशिकान्त अमरेश)
प्रभागीय निदेशक,
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रॉक–................../उक्त दिनॉकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0विभाग, सीतापुर।

(शशिकान्त अमरेश)
प्रभागीय निदेशक,
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग,